

## समाहरणालय, मधेपुरा

(सामाजिक सुरक्षा कोषांग)

पत्रांक- 412-2 /

प्रेषक,

जिलाधिकारी,  
मधेपुरा।

सेवा में,

सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, मधेपुरा जिला।  
कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, मुरलीगंज।  
कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, मधेपुरा।

दिनांक- 14 अगस्त, 2014

विषय- सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के पेंशन वितरण के सम्बन्ध में।  
महाशय,

उपर्युक्त विषयक सम्बन्ध में कहना है कि सभी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के पेंशन वितरण पखवाड़ा 1-15 के समाप्ति के बाद एक सप्ताह का अतिरिक्त समय वैसे लाभार्थी हेतु दिया जा रहा है जो प्रखण्ड अन्तर्गत शिविर में पेंशन उठाव नहीं कर पाये है।

अतः पंचायत में शिविर लगाकर प्रत्येक पंचायतवार दो दिनों का समय देते हुए पंचायत सचिव से छूटे हुए लाभार्थी के बीच पेंशन राशि वितरण कराना सुनिश्चित करें, ताकि कोई भी लाभार्थी पेंशन से वंचित नहीं रहे।

विश्वासभाजन

25/

जिलाधिकारी,  
मधेपुरा।

ज्ञापांक- 412-2 / दिनांक- 14/8 / अगस्त, 2014

प्रतिलिपि- अनुमण्डल पदाधिकारी, मधेपुरा एवं उदाकिशुनगंज को सूचनार्थ।

14/08/14

जिलाधिकारी,  
मधेपुरा।

